कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, उदयपुर

क्रमांक : लेखा / प्रतिलिपि / 2024–25 / 53 दिनांक : 13.05.2024

फोटो स्टेट कार्य हेतु निविदा सूचना– 2

दिनांक 21.05.2024 को दोपहर 12.00 बजे तक इच्छुक निविदादाताओं से इस न्यायक्षेत्र के मुख्यालय स्थित केन्द्रियकृत नकल शाखा में प्रतिलिपियों हेतु स्वयं की फोटोकॉपी मशीन लगाकर फोटो स्टेट कार्य हेतु दर संविदा वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिये मुहरबंद निविदाएँ आमन्त्रित की जाती हैं। निविदा का विस्तृत विवरण निविदा का विस्तृत विवरण एवं शर्तें विभाग की वेबसाईट https://sppp.rajasthan.gov.in, https://udaipur.dcourts.gov.in पर देखी जा सकती है। कार्य का अनुमानित मूल्य 8.00 लाख रूपये है।

UBN No.

अध्यक्ष, क्रय समिति
जिला एवं सेशन न्यायालय
उदयपुर

क्रमांक : लेखा / प्रतिलिपि / 2024–25 / 54 दिनांक : 13.05.2024

प्रतिलिपियां निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, उदयपुर।
2. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय एवं SPPP पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
3. सम्पादक राजस्थान पत्रिका, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निविदा सूचना को उदयपुर संस्करण में न्यूनतम स्पेस में प्रकाशित कर डी.आई.पी.आर. द्वारा अनुमोदित दर अनुसार बिल दो प्रतियों में प्रस्तुत करें।

अध्यक्ष, क्रय समिति
जिला एवं सेशन न्यायालय
उदयपुर

निविदा प्रपत्र शुल्क रू. 250/–
{आरटीपीपी नियम–36(2)}

कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, उदयपुर

तकनीकी निविदा प्रपत्र

{राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम –29(2)}

1. निविदादाता/फर्म का नाम मय पता	
2. फोन /मोबाईल नम्बर	
3. निविदा जिसके लिए दी गई	**केन्द्रियकृत नकल शाखा में स्वयं की फोटोकॉपी मशीन लगाकर फोटोस्टेट कार्य की दर संविदा**
4. पेन नम्बर	
5. जीएसटी नम्बर	
6. निविदा की अनुमानित राशि	8,00,000/–रू.
7. प्रतिभूति राशि	16,000/–रू.
8. निविदा प्रपत्र बेचने की अन्तिम दिनांक	21.05.2024 को दोपहर 11.00 बजे तक
9. निविदा प्रस्ताव प्राप्ति की अन्तिम दिनांक	21.05.2024 को दोपहर 12.00 बजे तक
10. निविदा प्रस्ताव खोलने की दिनांक	**21.05.2024 को दोपहर 12.30 बजे**

11. निविदा शुल्क की राशि का विवरण   रसीद/डीडी नं......................दिनांक ....

12. अमानत राशि का विवरण   डीडी नम्बर ....दिनांक ....
राशि रू. .... बैंक का नाम ....

13. निविदा अवधि   **वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु** (कार्यादेश तिथि से)

मैं/हम जिला एवं सेशन न्यायालय, उदयपुर द्वारा जारी की गई खुली निविदा में वर्णित सभी शर्तो तथा संलग्न शीट में दी गई सूचना के अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है। (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लिखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किया जाने के प्रमाण–पत्र में हमने हस्ताक्षर कर दिया है)

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील
नाम...

कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, उदयपुर

वित्तीय निविदा दर प्रपत्र

क. सं.	नाम कार्य	विशिष्टियां	दर प्रति ईकाई
1	लीगल साईज पेपर (70 GSM अच्छी / ब्राण्डेड कम्पनी) पर फोटोस्टेट कार्य (पेपर सहित)	**(प्रथम प्रति हेतु)**	अंकों में .... शब्दों में
2	लीगल साईज पेपर (70 GSM अच्छी / ब्राण्डेड कम्पनी) पर फोटोस्टेट कार्य (पेपर सहित)	**(प्रथम के अलावा अतिरिक्त प्रतियों हेतु)**	अंकों में .... शब्दों में

नोटः– दरें शब्दों एवं अंकों दोनो में प्रस्तुत करें। ओवरराइटिंग एवं कटिंग पर लघुहस्ताक्षर जरूर करें।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय फर्म की सील

—: निविदादाता द्वारा घोषणा :—

मैं/हम ———————————————————— घोषणा करता हूँ/करते है कि मैने/हमने जिला न्यायालय, उदयपुर की केन्द्रियकृत प्रतिलिपि शाखा में फोटोकॉपी कार्य के लिए निविदा दी है, इस कार्य का मैं/हम अनुभव रखते हैं और कार्य भलीभांति सम्पन्न कर सकता हूँ/सकते हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहृत कर लिया जा सकेगा तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

नाम..

कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, उदयपुर

निविदा की शर्ते

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पत्र दिनांक 14.03.1984 के अनुसरण में एवं साधारण फौजदारी नियम (सिविल एवं फौजदारी) 2018 के आदेश 6 नियम 5 की अनुपालना में उदयपुर मुख्यालय पर केन्द्रियकृत नकल शाखा में प्रतिलिपियां तैयार करने हेतु **वित्तीय वर्ष 2024–25** हेतु स्वयं की फोटोस्टेट मशीन पर फोटोकॉपी कार्य करने हेतु अनुबन्ध किया जाना है। जिस हेतु निम्न शर्ते निर्धारित की जाती हैः–

1. निविदा प्रपत्र निविदा प्रकाशन तिथि से किसी भी कार्यदिवस पर कार्यालय समय में निर्धारित दिनांक व समय तक निविदा प्रपत्र शुल्क 250/– रूपये नकद जमा करा प्राप्त किया जा सकता है, यह राशि प्रतिदाय नहीं होगी। RTPP नियम 45 (1) के अनुसार निविदा प्रपत्र पोर्टल से डाउनलोड करने की स्थिति में निविदा के साथ निविदा प्रपत्र शुल्क रूपये 250/– का डीडी पृथक से संलग्न करना होगा।
2. निविदा बन्द लिफाफे में निर्धारित प्रपत्र के साथ संलग्न सामान्य शर्तों के प्रपत्र हस्ताक्षरित एवं फर्म की मुहर अंकित की जाकर प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफे पर **"केन्द्रियकृत नकल शाखा में फोटो स्टेट कार्य के लिए निविदा"** स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिये। निविदाकर्ता निविदा के सभी पृष्ठों पर मुहर सहित हस्ताक्षर करेंगे।
3. निर्धारित अवधि में प्राप्त निविदाऐं निर्धारित दिनांक व समय को समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जावेगा। अपरिहार्य कारणों से उक्त समय व दिनांक में परिवर्तन किया जा सकेगा। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. निविदा के साथ निविदा प्रपत्र के अनुरूप नियमानुसार अमानत राशि रूपये 16,000/– का बैंकर्स **चेक/डीडी** जो कि **जिला एवं सेशन न्यायालय, उदयपुर** (District & Sessions Court, Udaipur) के नाम से देय हो, प्रतिभूति के रूप में संलग्न करना आवश्यक होगा, उसके अभाव में निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।
5. जो फोटोकॉपी तैयार की जावेगी, वह साफ–सुथरी होगी। जिन प्रलेख पत्रों की फोटोप्रतियां तैयार की जावेगी, उसके संबंध में पूर्णतया गोपनीयता बरतनी होगी।
6. सफल निविदादाता को दो फोटोस्टेट मशीनें केन्द्रियकृत नकल शाखा में स्वयं के खर्चे से लगानी होगी। बिजली, कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी परन्तु बिजली की राशि का भुगतान सफल निविदादाता द्वारा पृथक से सबमीटर की रीडिंग के अनुसार अदा किया जाना होगा।
7. फोटोस्टेट मशीनें नई/अच्छी कण्डीशन की होकर सूचारू रूप से कार्य करे यह सुनिश्चित करना होगा। फोटोकॉपी मशीनों में तकनिकी खराबी होने पर संबंधित फर्म को अविलम्ब दूसरी फोटोस्टेट मशीन की व्यवस्था करनी होगी। फोटोकॉपी मशीनों की मरम्मत, अनुरक्षण, कागज सम्बन्धित समस्त प्रकार का व्यय स्वयं निविदादाता को वहन करना होगा।
8. संबंधित फर्म को प्रतिदिन निर्देशानुसार प्रतिलिपियां उपलब्ध करवानी होगी तथा हाईस्पीड हेवी ड्युटी मशीनें लगानी होगी। कार्यभार अधिक होने पर दो से अधिक मशीनें भी लगानी होगी।
9. निविदा में वर्णित अनुसार फोटोकॉपी हेतु 70 GSM अच्छे/ब्राण्डेड फोटोस्टेट पेपर ही उपयोग में लिया जायेगा एवं इस हेतु 70 GSM अच्छे/ब्राण्डेड फोटोस्टेट पेपर की दरें एवं पेपर का नमूना मय ब्राण्ड लिखकर संलग्न करना होगा। पेपर के वेस्टेज आदि की जिम्मेदारी संबंधित फर्म की होगी। .

10. निविदादाता की दरें सभी कर एवं लागते यथा श्रम, स्याही आदि सहित होगी। कार्यादेश होने की स्थिति में बिजली एवं जगह ही इस कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। बिजली का भुगतान सफल निविदादाता द्वारा पृथक से वहन किया जायेगा। इसके अलावा किसी अन्य मद में कोई सामान, सुविधा अथवा कार्य के लिए किसी राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।

11. निविदादाता फर्म का जी.एस.टी. पंजीयन होना अनिवार्य है, तथा सफल निविदादाता को इस फोटोस्टेट कार्य पर लगने वाले आयकर, जी.एस.टी. अथवा अन्य समस्त प्रकार के करों के भुगतान का दायित्व निविदादाता फर्म का स्वयं का रहेगा।

12. फोटोस्टेट कार्य हेतु ठेका/ अनुबन्ध कार्यादेश से **वित्तीय वर्ष 2024–25** के लिए किया जावेगा तथा पारस्परिक सहमति से निर्देशानुसार बढ़ाया जा सकता है।

13. सफल निविदादाता को भुगतान का तरीका – प्रतिदिन होने वाली सकल प्रतिलिपियों की संख्या का निविदादाता द्वारा प्रस्तुत निविदा दर से गुणा किया जाकर निविदादाता को दैनिक आधार फर्म का बिल/वाऊचर प्रस्तुत करनें पर भुगतान किया जावेगा।

14. निविदादाता द्वारा स्वीकृत दरों पर फोटोकॉपी का कार्य स्वयं किया जायेगा तथा उक्त कार्य को अथवा उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेंसी को उपभाड़े (सबलेट) नहीं करेगा।

15. यदि फोटोकॉपी का कार्य जिला एवं सेशन न्यायालय प्रशासन की संतुष्टी के आधार पर नहीं किया जाता है तो फर्म की संविदा किसी भी समय निरस्त की जा सकती है एवं अन्य फर्म से कार्य करवानें पर अन्तर की राशि के लिए निविदादाता फर्म जिम्मेदार रहेगी।

16. यदि निविदादाता निविदा खुलनें के पश्चात् किन्तु निविदा स्वीकार करनें से पहले प्रस्ताव को वापस लेता है या रूपान्तरण करता है या विहित करार निष्पादित नहीं करता है या निविदा स्वीकार करनें के पश्चात् सिक्युरिटी राशि जमा नहीं करवाता है या आदेशित सामग्री की आपूर्ति प्रदान करनें में विफल रहता है तो बयाना राशि जब्त कर ली जावेगी।

17. क्रय समिति को फोटोकॉपी का कार्य गुणवत्ता एवं लागत के आधार पर निविदा का निर्णय करनें का पूर्ण अधिकार होगा। क्रय समिति न्यूनतम निविदादाता व निविदादाताओं को नेगोसिएशन के लिए आमंत्रित कर सकती है, इसके बावजूद दरें अनुकूल नहीं पाये जाने पर अथवा सामग्री वांछित गुणवत्ता की न होने पर अथवा अन्य प्रशासनिक कारणों से भी निविदा निरस्त की जा सकती है, जिसके लिए निविदादाता को कोई दावा करनें का अधिकार नहीं होगा।

18. क्रय समिति कार्य की प्रगति को देखते हुए सभी निविदादाताओं को एक साथ वार्ता एवं नेगोसिएशन के लिए बुलवानें हेतु स्वतंत्र होगी।

19. क्रय समिति/जिला एवं सेशन न्यायाधीश, उदयपुर को बिना कारण बताये निविदा को किसी भी स्तर पर निरस्त करनें का अधिकार होगा।

20. निविदा प्रपत्र स्याही से या टंकण से भरा जाएगा। पेंसिल से भरी हुई किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

21. सफल निविदा दाता को आदेश के प्राप्त होने के 05 कार्य दिवस की अवधि के भीतर आरटीपीपी नियम 70 (7) सपठित 76 (2) के अनुसार अपेक्षित मूल्य के न्यायिकेत्तर स्टाम्प पर एस.आर. प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित कर कुल अनुमानित मूल्य की पांच प्रतिशत (निविदा के साथ प्रस्तुत डिमाण्ड ड्राफ्ट को सम्मिलित करते हुए) कार्य सम्पादन प्रतिभूति (एस.डी.) राशि जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट "जिला एवं सेशन न्यायालय, उदयपुर (District & Sessions Court, Udaipur)**" के नाम से जमा करवानी होगी।**

22. दरें नियत स्थान पर अंको एवं शब्दों दोनो में लिखी जाएगी। इसमें कोई काट–छाँट एवं उपरी लेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियां करनी आवश्यक हो तो वे स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

23. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दरों में अंकों एवं शब्दों मे वर्णित दरों में अंतर नहीं होना चाहिए। अंतर होने की स्थिति में जो भी दर कम होगी वही मान्य होगी।

24. निविदा अनुबंध की शर्तो का उल्लंघन करने पर बिना नोटिस दिए अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा। अनुबंध की शर्तो के संबंध में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद को निर्णित करने के संबंध में जिला एवं सेशन न्यायाधीश, उदयपुर का निर्णय अंतिम होगा जो निविदा दाता को आवश्यक रूप से मान्य होगा।

25. कार्यादेश जारी करने के उपरान्त निर्धारित अवधि से कार्य आरम्भ करना होगा अन्यथा प्रतिभूति राशि जब्त कर कार्यादेश निरस्त कर दिया जावेगा।

26. निविदा में किसी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा तथा फर्म की कोई शर्त मान्य नहीं होगी।

27. कार्य पर किसी प्रकार के प्रभार का दायित्व संबंधित फर्म का होगा तथा दरें समस्त कर सहित प्रस्तुत की जावेगी।

28. किसी भी प्रकार के विवाद में न्यायक्षेत्र उदयपुर शहर रहेगा।

29. उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त जहां आवश्यक हो राजस्थान सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम और राजस्थान उपापन एवं पारदर्शिता नियम, 2013 के प्रावधान यथास्थान लागू होंगे।

30. उक्त निविदा के तहत फोटोकॉपीयर कार्य हेतु किये गए अनुबन्ध अवधि की वैधता वित्तीय वर्ष 2023–24 रहेगी। स्वीकृत दरों पर कार्य आपसी सहमति से आरटीपीपी नियम 29 (2) (झ) सपठित 73 (3) के अनुसार अभिवृद्धि किया जा सकेगा।

31. सफल निविदादाता से फोटोकॉपी का कार्य निविदा सूचना में निर्दिष्ट मात्रा से कम या अधिक कार्य करवाया जाता है तो वह किसी क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकारी नहीं होगा।

32. आरटीपीपी नियम 2013 के नियम 48 (1) के अनुसार निविदादाता की बोली की विधिमान्यता अवधि बोली खुलने की दिनांक से 90 दिन तक मान्य होगी। किन्तु अपवादिक परिस्थिति में पारस्परिक सहमति से विधि मान्यता अवधि अभिवृद्धि की जा सकेगी।

33. **पात्रता के मानदंड –**

   a. निविदादाता इस तरह के कार्य के लिए वांछित अनुभव, अपने सेट–अप एवं अपने प्रतिष्ठान में उपलब्ध संसाधनों का विवरण संलग्न करना होगा। निविदादाता अपने सेट–अप में किये गये कार्य के नमूने को भी संलग्न करेगा। क्रय समिति या उसके प्रतिनिधि निविदाता की कार्य क्षमता निरीक्षण कर तदानुसार निर्णय करनें के लिए स्वतंत्र होंगे।

   b. निविदादाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन करानें की एक प्रकार की अनर्हता होगी।

   c. दिवालिया / रिसीवर के अधीन / शोधन अक्षम नहीं / या अन्य प्रकार से बिजनेस करने से अयोग्य निविदा हेतु सक्षम नहीं होगे।

34. अमानत राशि / प्रतिभूति राशि – असफल निविदादाताओं को उनके द्वारा जमा अमानत राशि निविदा के सफल निस्तारण के पश्चात् लौटा दी जायेगी तथा इस पर किसी प्रकार का ब्याज इत्यादि देय नहीं होगा।

35. **प्रतिभूति राशि का समपहरण –** निम्नलिखित मामलों में प्रतिभूति राशि को समपहृत कर लिया जायेगा –

   a. जब निविदा में किन्हीं निर्बंन्धनों एवं शर्तो का उल्लंघन किया गया हो,

b. जब निविदादाता सम्पूर्ण प्रदाय संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहता हो,

c. जमा कराई गई प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने से पूर्व युक्तियुक्त समय देते हुए निविदादाता को नोटिस दिया जायेगा।

d. प्रतिभूति निक्षेप राशि का प्रतिदाय अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने के तीन माह पश्चात् किया जायेगा।

36. **निविदाओं की अपात्रता –**

a. निविदा सूचना में प्रकाशित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त हुई निविदाएँ

b. बिना निविदा मूल्य एवं बयाना राशि के जमा निविदाएँ

c. अपूर्ण निविदाएँ

d. भ्रामक अथवा गलत तथ्य/दावे प्रस्तुत करने वाली निविदाएँ,

e. विभाग द्वारा चाहे गये स्पष्टीकरण को न प्रदान कर पाना/तय समय से देरी से प्रदान करना।

f. एक से अधिक निविदाएं प्रस्तुत करना। ऐसा होने पर फर्म द्वारा भरी गयी समस्त निविदाएं तकनिकी मूल्यांकन में निरस्त की जा सकेंगी।

g. अपूर्ण एवं सशर्त निविदा प्रस्तुत करना।

h. तकनिकी अर्हताओं का पूर्ण न करना।

i. निविदादाताओं अथवा उसके किसी प्रतिनिधि का अवांछित रूप से प्रभाव डालना/डलवाना, विवाद इत्यादि करना, रिश्वत इत्यादि का प्रस्ताव करना अथवा गैर कानूनी रूप से तुष्टीकरण करना।

j. अल्प वैधता वाली निविदा प्रस्तुत करना।

37. अन्य नियम एवं शर्ते :–

a. निविदादाता स्वयं के अधीनस्थ कर्मियों के चाल–चलन एवं चरित्र के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा।

b. निविदादाता स्वयं के अधीनस्थ कर्मियों के वेतन, भत्तों के भुगतान अथवा किसी प्रकार के बीमें की आवश्यकता हो तो उसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगा, तथा उसके अधीनस्थ कर्मी उसी के अधीनस्थ होंगे, जो किसी भी प्रकार से न्यायालय के कर्मी नहीं होंगे, ना हीं इस प्रकार का दावा प्रस्तुत करेंगे।

c. सफल निविदादाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा फोटोस्टेट मशीन ऑपरेट करने के लिए लगाये जाने वाले कर्मचारी का किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं हो, ना हीं उसके विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई वाद लम्बित हो तथा इस सम्बन्ध में शपथ पत्र मशीन ऑपरेट कर्मचारी को लगाने से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैने/हमने उपर्युक्त समस्त शर्तो को सावधानी पूर्वक पढ़ एवं समझ लिया है जो हमें स्वीकार्य है, जिसकी सहमति के रूप में निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिए है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

नाम..

मोबाइल नं.......................................

Annexure-A

Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
(d) not misuse any Information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
(g) disclose conflict of interest, if any; and
(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest :-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest. A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

A bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in an bidding process if, including but not limited to;

(a) have controlling partners/shareholders in common; or
(b) receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
(c) have the same legal representative for purposes of the Bid; or
(d) have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
(e) the bidder participates in more than one Bid in abiding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
(f) the Bidder of any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
(g) Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Annexure-B

Declaration by The Bidder regarding Qualification

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bid No. .... Dated..................... I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;

2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the bidding document;

3. I/We are not insolvent in receivership , bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;

4. I/We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;

5. I/We do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:

Place :

Signature of Bidder

Name:

Designation:

Address:

Annexure-C
Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the Appellate Authority

(1) **Filling an appeal**

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a bidder whose technical bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavor to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para(1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para(2), or if the Bidder or prospective bidder of the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be.

(4) **Appeal not to lien in certain cases**

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) Determination of need of procurement;

(b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;

(c) The decision of whether or not to enter into negotiations;

(d) Cancellation of a procurement process;

(e) Applicability of the provisions of confidentiality

(5) **Form of Appeal**

(a) An appeal under para(1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any. Affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(6) **Fee for Filling Appeal**

(a) Fee for filling appeal shall be rupees two thousand five hundred, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of ban demand draft of banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) **Procedure for disposal of appeal**

(a) The Appellate Authority as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) Hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies there of relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies there of relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause(c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Form No. – 1
Memorandum of Appeal
(See sub-rule 1 of rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No .... of ....

Before..(Appellate Authority)

1 Particulars of appellant:

(i) Name and father's name of the appellant :...

(ii) Official address :..

....

(iii) Residential address :..

....

2. Name and address of the respondent(s)

(i) ....

(ii) ....

(iii) ....

2. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order, or a statement of a decision, action or omission of the procuring entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved

....

3. If the Appellant proposes to be represented by :..

a representative the name and postal address ....

of the representative. ....

5. Number of affidavits and documents enclose with the appeal:

6. Grounds of appeal:-

....

....(Supported by an affidavit)

7. Prayer ....

....

Place ....

Date ....

Appellant's Signature

Annexure-D

Additional Conditions of Contract

1. **Correction of arithmetic errors.-**

Provided that Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis, namely: -

(a) if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

(b) if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

(c) if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (a) and (b) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. **Procuring Entity's Right to vary Quantities.-**

(a) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or service originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase of decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change n the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(b) If the procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(c) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not more than 50% of the value of Goods of the original **contract in current financial year 2023-24 on same terms and conditions**. If the suppliers fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. **Dividing quantities among more than one bidder at the time of award.-**

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, then in such cases, the quantity may be divided between the Bidders, whose Bid is accepted and the second lowest Biddder or even more bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

SELF-DECLARATION – NO BLACKLISTING

I/We declare that I/We are bonafide Manufacturer/ Authorized Dealer in the Good/Stores/Equipments/Furniture's for which I/We have Tendered. I/ We hereby declare that presently our Company/ firm, at the time of bidding, is having unblemished record and is not declared ineligible for corrupt & fraudulent practices either indefinitely or for a particular period of time by any State/ Central government/ PSU/ UT.

If this declaration is found to be incorrect then without prejudice to any other action that may be taken, my/ our security may be forfeited in full and our bid, to the extent accepted, may be cancelled.

Date :
Place:

Name of the Bidder
Authorised Signatory
Seal of the Organisation